(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

गोपाल बनाम रामकिशोर वगै0

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 48 सन् 2024

2024/98

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर, तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
29.05.2024	अधिवक्ता प्रार्थी ने मय वाद प्रार्थना पत्र पेश कर बहस एकतरफा में निवेदन किया कि भूमि आराजी ख0न0 189 रकबा 3.1360 हैक्ट. वाके ग्राम काशीपुरा, पटवार हल्का काशीपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है, उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 ता 08 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, जिसका पक्षकारान् ने अपने हिस्सानुसार पूर्व में ही मिल बैठकर विभाजन कर लिया था, किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उक्त वर्णित आराजीयात का विधिवत् विभाजन नही हो रखा है, इस कारण उक्त वर्णित आराजीयात अविभाजित है। उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का हिस्सा 1/3 है, शेष हिस्सा अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। अप्रार्थीगण एकराय एकजुट होकर प्रार्थी को निरन्तर हेरान, परेशान कर रहे है। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त वर्णित आराजीयात अविभाजित है, जिसका पक्षकारान् के बीच अभी तक विधिवत् विभाजन नही हो रखा है, किन्तु अप्रार्थीगण, प्रार्थी को हैरान, परेशान करने के लिए बिना विधिवत् विभाजन कराये ही अपने मनचाहे स्थान पर पक्का निर्माण कार्य करने का प्रयास कर रहे है। जिसका प्रतिपक्षीगण को कोई वैधानिक अधिकार नहीं हैं। अतः प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं। प्रकरण में प्राइमाफेसीयॅा केस प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी अनुसार प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 01 ता 08 उक्त वर्णित आराजीयात में संयुक्त रूप से खातेदार एवं काबिज काश्तकार हैं एवं प्रतिपक्षी संख्या 01 ता 08 को अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक पाबन्द किया जाता है कि वे भूमि आराजी ख0न0 189 रकबा 3.1360 हैक्ट. वाके ग्राम काशीपुरा, पटवार हल्का काशीपुरा में प्रार्थी के हक हिस्से की आराजी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में मजामहत व मदाखलत नहीं करे। उक्त वर्णित आराजीयात में बिना विधिवत् तकास्मा के निर्माण कार्य नही करे। प्रतिपक्षीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी0 जारी हो। यदि इस आदेश के जारी होने में आपत्ति हो तो प्रतिपक्षीगण नियत तिथि पर उपस्थित होकर उज्र पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 28.06.2024 को पेश हो।	

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

28/6/24
[illegible] पेश हुई। अधिवक्ता वादी/[illegible]
[illegible]/पी.ओ साहब राजकार्य में [illegible]
[illegible] पर/स्थानान्तरित होने के [illegible]
[illegible] त आदेशिका अनुसार [illegible]
3/7/24......पेश हो।
Ram

03/07/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप./ प्रतिपक्षीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी. की जा चुकी है प्रतिपक्षी बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 02.08.24 को पेश हो।

2/8/24
[illegible] पेश हुई। अधिवक्ता [illegible]
[illegible]/पी.ओ साहब राजकार्य में [illegible]
[illegible] पर/स्थानान्तरित होने के [illegible]
[illegible] त आदेशिका अनुसार [illegible]
3/9/24......पेश हो।
Ram

3/9/24
[illegible] पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी
उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/
अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण
पत्रावली त आदेशिका अनुसार दिनाक
10/10/24......पेश हो।
Ram

10/10/24
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी
उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/
अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण
पत्रावली त आदेशिका अनुसार दिनाक
21/11/24......पेश हो।
Ram

21/11/24 पत्रावली पेश हुई वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 21-1-25 को पेश हो।

21/1/25
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी
उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/
अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण
पत्रावली त आदेशिका अनुसार दिनांक
26/3/25......पेश हो।
Ram

Scanned with OKEN Scanner

APP-A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..मुकाम..

.... गोपाल .... बनाम .... रामकिशोर ....

किस्म मुकदमा..नं. .... 48 .... सन .... 2024 ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/03/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रतिवादी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली ।त आदेशिका अनुसार दिनांक 08/05/25.... पेश हो। Ram	
8/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रतिवादी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली ।त आदेशिका अनुसार दिनांक 9/7/25.... पेश हो। Ram	
9/7/25	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता वादी उपस्थित पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 25-7-25 को पेश हो।	
25/7/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रतिवादी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली ।त आदेशिका अनुसार दिनांक 26/8/25.... पेश हो। Ram	
26/08/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रतिवादी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली ।त आदेशिका अनुसार दिनांक 14/11/25.... पेश हो। Ram	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
14/11/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली ... आदेशिका अनुसार दिनांक 19.11.25 ...पेश हो। Ram
19/11/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली ... आदेशिका अनुसार दिनांक 21.11.25 ...पेश हो। Ram
21/11/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली ... आदेशिका अनुसार दिनांक 27.11.25 ...पेश हो। Ram
27/11/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप.। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 04.12.25 को पेश हो।
04/12/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप.। मूल वाद डिक्री किये जाने के कारण प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा जारी स्थगन आदेश खारिज किया जाता है एवं प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो एवं नियमानुसार नम्बर से कम हो।